FOOD STANDARDS AGENCY

फ़ूड ला इंस्पेक्शनें (भोजन से संबंधित कानून के अंतर्गत इंस्पेक्शनें) और आपका कारोबार

Food law inspections and your business
Hindi

फ़ूड ला इंस्पेक्शनें (भोजन से संबंधित कानून के अंतर्गत इंस्पेक्शनें) और आपका कारोबार

यदि आप भोजन बनाने या तैयार करने का कारोबार चलाते हैं, तो इस कारोबार की इंस्पेक्शनें यह बात यकीनी बनाने के लिए की जाएंगी कि क्या आप भोजन से संबंधित कानूनों का पालन कर रहे हैं। इंस्पेक्टर आपकी लोकल अथारिटी (कौंसिल) से आएंगे (या नार्दरन आयरलैंड में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल से आएंगे)।

इस पुस्तिका में यह बताया गया है कि इंस्पेक्शन में कौनसे काम शामिल हो सकते हैं और यदि इंस्पेक्टरों को आपके कारोबार में कोई ग़लत बात दिखाई दे, तो वे क्या कार्यवाई कर सकते हैं।

1

इंस्पेक्शनें किस लिए की जाती हैं 2
यह सुनिश्चित करना कि भोजन खाने के लिए सुरक्षित हो 3
यह सुनिश्चित करना कि भोजन के बारे में दी गई जानकारी गुमराह करने वाली न हो 3
इंस्पेक्शनें कितने कितने समय बाद होती हैं 3

2

इंस्पेक्टर क्या करते हैं 4
इंस्पेक्शन के लिए आना 5
कार्यवाई करना 6
अपील करना 7

अधिक जानकारी 8

इंस्पेक्शनें किस लिए की जाती हैं

यह सुनिश्चित करना कि भोजन खाने के लिए सुरक्षित हो

इंस्पेक्टर चैक करेंगे कि क्या आपके कारोबार में तैयार किया जाने वाले भोजन खाने के लिए सुरक्षित है। इसके लिए वे इन बातों की ओर ध्यान देंगे –

- आपके काम का स्थान
- जिस प्रकार का भोजन आप तैयार करते हैं
- आप कैसे काम करते हैं
- भोजन को सुरिक्षत रखने के आपके प्रबंध

भोजन की सेहतमंद सफ़ाई के अनिवार्य नियमों के बारे में जानकारी लेने के लिए फ़ूड स्टैंडर्डज़ एजंसी (ऐफ़ ऐस ए) की पुस्तिका 'Food hygiene – a guide for businesses' (भोजन की सेहतमंद सफ़ाई – कारोबारों के लिए जानकारी) पढ़ें या अपनी लोकल अथारिटी (कौंसिल) में ऐन्वायरनमेंटल हेल्थ सर्विस से बात करें।

यह सुनिश्चित करना कि भोजन के बारे में दी गई जानकारी गुमराह करने वाली न हो

इंस्पेक्टर यह भी देखेंगे कि भोजन के बारे में जानकारी आप किस तरह देते हैं, जैसे मैन्यू या लेबल पर, ताकि वे देख सकें कि यह जानकारी ग्राहकों को गुमराह करने वाली न हो।

भोजन के बारे में जानकारी देने के बारे में अधिक जानकारी ऐफ़ ऐस ए की इस वेबसाईट से लें – www.food.gov.uk

इंस्पेक्शनें कितने कितने समय बाद होती हैं

इंस्पेक्टर आम ढंग से भी आ सकते हैं, या उस समय भी आ सकते हैं जब किसी ने शिकायत की हो। आपके कारोबार की जाँच पड़ताल के लिए इंस्पेक्टर कितने कितने समय बाद आएंगे, यह इस बात पर निर्भर होगा कि आपका करोबार किस प्रकार का है, और आपका पिछला रिकार्ड कैसा है। कई कारोबारों की इंस्पेक्शन छः महीने बाद होती है और कई कारोबारों की इससे कम बार।

इंस्पेक्टरों को अधिकार है कि वे किसी भी उचित समय पर भोजन के कारोबार में दाख़िल होकर भोजन की इंस्पेक्शन कर सकें। उन्हें अपाइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, और आम तौर पर वे आपको पहले बताए बिना आते हैं।

इंस्पेक्टर क्या करते हैं

इंस्पेक्टर क्या करते हैं

इंस्पेक्शन के लिए आना

जब इंस्पेक्टर आते हैं, तो उन्हें लोकल अथारिटी द्वारा भोजन का कानून लागू करवाने से संबंधित फ़ूड स्टैंडर्डज़ एजंसी फ्रेमवर्क ऐग्रीमेंट (Food Standards Agency's Framework Agreement) का पालन करना पड़ता है। इस फ्रेमवर्क ऐग्रीमेंट में मानदंड निश्चित किए गए हैं कि कानून लागू करवाने के अपने कर्तव्यों का पालन लोकल अथारिटियाँ कैसे करें। यह फ्रेमवर्क ऐग्रीमेंट आप ऐफ़ ऐस ए की इस वेबसाईट पर पढ़ सकते हैं – www.food.gov.uk

आप उम्मीद रख सकते हैं कि इंस्पेक्टर आने के बाद अपनी पहचान का सबूत आपको दिखाएं और पूरा समय आपके साथ सम्मानपूर्वक पेश आएं। इसका अर्थ यह है कि यदि उन्हें कोई ख़राबियाँ दिखाई पड़ें, तो वे इन्हें दूर करने के बारे में सलाह देते हैं।

यदि इंस्पेक्टर आपको कुछ करने की सलाह दें, तो वे आपको बताएंगे कि क्या ऐसा करना कानून का पालन करने के लिए ज़रूरी है या यह वैसे ही अच्छा काम है।

यदि इंस्पेक्शन के परिणाम–स्वरूप आपको कुछ करने के लिए कहा जाए, तो इसका लिखित कारण आपको बताया जाना ज़रूरी है। यदि इंस्पेक्टरों का निर्णय यह हो कि आप कानून तोड़ रहे हैं, तो उनके लिए आवश्यक है कि वे आपको बताएं कि कानून क्या है।

इंस्पेक्टरों के लिए ज़रूरी है कि वे आपको परिवर्तन करने के लिए उचित समय दें, परंतु उस हालत में नहीं यदि आम लोगों की सेहत को तुरंत कोई ख़तरा हो। उनके लिए आपको यह बताना भी ज़रूरी है कि आप अपील कर सकते हैं। (देखें सफ़ा 7)।

कार्यवाई करना

इंस्पेक्टर जब ज़रूरी समझें, वे आम लोगों की सुक्षा के लिए 'कानून लागू करने की कार्यवाई' (ऐन्फ़ोर्समेंट ऐक्शन) कर सकते हैं, जैसे –

- आपके रिकार्डों की जाँच पड़ताल करना
- भोजन के नमूने और फ़ोटो लेना
- आप अनौपचारिक पत्र लिखकर किसी ख़राबी को दूर करने के लिए कहना
- जिस भोजन पर शक हो उसे उठाकर ले जाना

वे आपको नोटिस भी दे सकते हैं। नोटिस प्रायः तीन मुख्य प्रकार के होते हैं –

- 'सफ़ाई में सुधार लाने का नोटिस' – जिसमें कुछ काम बताए जाते हैं, जो आपके कारोबार के लिए करना अनिवार्य है, यदि यह कानून तोड़ रहा है
- 'आपात् स्थिति में सफ़ाई से संबंधित निषेध नोटिस', जिसमें कुछ कामों, स्थानों या सामान का प्रयोग करने पर निषेध लगाया जाता है, इस नोटिस की अनुमति अदालत से लेना ज़रूरी है
- 'कामों में सुधार लाने का नोटिस' (केवल संस्थाओं की मंज़ूरी से), जिसमें कुछ कामों, स्थानों या सामान का प्रयोग करने पर निषेध लगाया जाता है, या काम की कुछ शर्तें लागू की जाती हैं। यह नोटिस आपात् स्थिति में सफ़ाई से संबंधित निषेध नोटिस जैसा होता है, परंतु इसकी मंज़ूरी अदालत दे नहीं लेनी पड़ती।

गंभीर केसों में इंस्पेक्टर अभियोग चलाने की सिफ़ारिश भी कर सकते हैं। यदि अभियोग सफल हो जाए, तो अदालत आपको कुछ काम करने, कुछ स्थानों का प्रयोग करने से या भोजन का कारोबार चलाने से मना कर सकती है। इसके कारण आपको जुर्माना या क़ैद भी जो सकती है।

अपील करना

हर लोकल अथारिटी ने आपनी सेवा के बारे में आई शिकायतों से निपटने के लिए कोई औपचारिक व्यवस्था की होती है। इस लिए, यदि आप इंस्पेक्टरों द्वारा की गई कार्यवाई से सहमत नहीं हैं, तो तो आपको आपनी लोकल अथारिटी में हेड ऑव एन्वायरनमेंटल हेल्थ सर्विसिज़ या ट्रेडिंग स्टैंडर्डज़ सर्विस के साथ संपर्क करके देखना चाहिए कि क्या समस्याएं बातचीत से या पत्र लिखकर सुलझाई जा सकती हैं। यदि आप अब भी सहमत नहीं, तो आप अपने इलाके के कौंसिलर से बात कर सकते हैं।

यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी लोकल अथारिटी कानून को अन्य लोकल अथारिटियों से अलग ढंग से लागू कर रही है, तो आप लोकल अथारिटीज़ को-आर्डीनेटर्ज़ ऑव रैग्यूलेटरी सर्विसिज़ (Local Authorities Co-ordinators of Regulatory Services - LACORS) से या स्काटिश फ़ूड को-आर्डीनेटिंग कमेटी (Scottish Food Co-ordinating Committee) के साथ अपनी ट्रेडिंग ऐसोसिएशन द्वारा बात कर सकते हैं।

सफ़ाई में सुधार, अन्य सुधार करने या आपात्कालीन निषेध न हटाने के लोकल अथारिटी के किसी आर्डर के विरुद्ध आप मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में (या स्काटलैंड में शैरिफ़ के पास) अपील कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति पर निषेध लगा हो, तो इसे केवल अदालत ही हटा सकती है।

जब इंस्पेक्टर किसे कारोबारी स्थान पर सफ़ाई के कारण आपात् निषेध का नोटिस जारी करते हैं, तो उनके लिए अदालत से (या स्काटलैंड में शैरिफ़ से) निश्चित समय के अंदर मंजूरी लेना अनिवार्य है।

यदि इंस्पेक्टर ने कोई भोजन उठाया हो तो किसी जस्टिस ऑफ़ पीस (या शैरिफ़) से आदेश लेकर ही इसे मनुष्यों के खाने के अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

आप चाहें तो अदालती कार्यवाई के समय वहाँ हाज़िर हो सकते हैं। यदि अदालत यह फ़ैसला दे कि कारोबार के स्थान को बंद करने का कोई उचित कारण नहीं है, तो आपको मुआवज़ा लेने का अधिकार है।

अधिक जानकारी

आपकी लोकल अथारिटी आपको भोजन से संबंधित कानून के बारे में जानकारी और आपके स्टाफ़ को भोजन की सेहतमंद सफ़ाई के बारे में जानकारी दे सकती है। यह जानकारी आपको ऐफ़ ऐस ए की वेबसाईट www.food.gov.uk पर और निम्नलिखित पुस्तिकाओं से भी मिल सकती है।

फ़ूड स्टैंडर्डज़ एजंसी के प्रकाशन

Food hygiene – a guide for businesses
(भोजन की सेहतमद सफ़ाई – कारोबारों के लिए जानकारी)
– भोजन की सेहतमंद सफ़ाई से संबंधित नियमों के बारे में आम जानकारी

Starting up – Your first steps to running a catering business
(शुरू करना – भोजन का कारोबार शुरू करने के लिए आपके प्रारंभिक क़दम)
– भोजन के नये कारोबारों के लिए जानकारी

इन पुस्तिकाओं तथा ऐफ़ ऐस ए के अन्य प्रकाशनों की कॉपियों का आर्डर देने के लिए संपर्क करने के बारे में जानकारी इस पुस्तिका के अंत में दी गई है।

भोजन की सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में पैक

यदि आप भोजन तैयार करने या बेचने का छोटा कारोबार चलाते हैं, तो भोजन की सुरक्षा के प्रबंध लागू करने में आपको मदद देने वाले पैक आपको ऐफ़ ऐस ए से मिल सकते हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी अपनी लोकल अथारिटी से लें या ऐफ़ ऐस ए की यह वेबसाईट पढ़ें – www.food.gov.uk

अच्छे कामों के बारे में गाईडें

भोजन के उद्योग में अच्छे कामों के बारे में गाईडें तैयार की गई हैं जिनमें भोजन की सेहतमंद सफ़ाई के नियमों का पालन करने बारे में भी सलाह दी गई है। कई गाईडें तैयार भी की जा रही हैं। इनके बारे में जानकारी लेने के लिए ऐफ़ ऐस ए की यह वेबसाईट पढ़ें – www.food.gov.uk

www.food.gov.uk

फ़ूड स्टैंडर्डज़ एजंसी के प्रकाशन
इस पुस्तिका या एजंसी के अन्य प्रकाशनों की कापियाँ आर्डर करने के लिए –

टेलीफ़ोन 0845 606 0667
मिनीकोम 0845 606 0678
फ़ैक्स 020 8867 3225
ईमेल foodstandards@ecgroup.uk.com

फ़ूड स्टैंडर्डज़ एजंसी की यह वेबसाईट पढ़ें – www.food.gov.uk

Published by the Food Standards Agency September 2006
Design by Hoop Associates

© Crown copyright 2006
FSA/1083/0906